न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :82/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/109)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. नरेन्द्र बाना पुत्र जगदीश बाना जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 2. शारदा पत्नी जगदीश प्रसाद बाना जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 3. रोहिताश बाना पुत्र जगदीश बाना जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 15.04.2025

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 10.07.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 78/61, खाता संख्या 79/61 व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 163/16 में वादीगण के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातो में वादी संख्या 1 का नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र, वादी संख्या 2 का नाम शारदा पत्नी जगदीश चन्द्र व वादी संख्या 3 का नाम रोहिताश पुत्र जगदीश चन्द्र दर्ज है। जबकि वादीगण का वास्तविक नाम क्रमशः नरेन्द्र बाना पुत्र जगदीश बाना, शारदा पत्नी जगदीश प्रसाद बाना, रोहिताश बाना पुत्र जगदीश बाना है। वादीगण के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 78/61, खाता संख्या 79/61 व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 163/16 में अंकित नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र के स्थान पर नरेन्द्र बाना पुत्र जगदीश बाना, शारदा पत्नी जगदीश चन्द्र के स्थान पर शारदा पत्नी जगदीश प्रसाद बाना व रोहिताश पुत्र जगदीश चन्द्र के स्थान पर रोहिताश बाना पुत्र जगदीश बाना दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1327 दिनांक 05.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी में घटना बही व अन्य दस्तावेजात के आधार पर नरेन्द्र बाना व रोहिताश बाना पुत्र जगदीश बाना दर्ज किया जाना उचित है।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 78/61 की प्रति, राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 79/61 की प्रति व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 163/16 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 78/61, खाता संख्या 79/61 व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 163/16 में अंकित नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र के स्थान पर नरेन्द्र बाना पुत्र जगदीश बाना, शारदा पत्नी जगदीश चन्द्र के स्थान पर शारदा पत्नी जगदीश प्रसाद बाना व रोहिताश पुत्र जगदीश चन्द्र के स्थान पर रोहिताश बाना पुत्र जगदीश बाना दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम क्रमशः नरेन्द्र बाना पुत्र जगदीश बाना, शारदा पत्नी जगदीश प्रसाद बाना, रोहिताश बाना पुत्र जगदीश बाना दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी में घटना बही व अन्य दस्तावेजात के आधार पर नरेन्द्र बाना व रोहिताश बाना पुत्र जगदीश बाना दर्ज किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 78/61, खाता संख्या 79/61 व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 163/16 में अंकित नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र के स्थान पर नरेन्द्र बाना पुत्र जगदीश बाना, शारदा पत्नी जगदीश चन्द्र के स्थान पर शारदा पत्नी जगदीश प्रसाद बाना व रोहिताश पुत्र जगदीश चन्द्र के स्थान पर रोहिताश बाना पुत्र जगदीश बाना दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

<u>अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

नरेन्द्र बाना बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **82/2025**
निर्णय दिनांक :- 10.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955,136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 41 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 78/61, खाता संख्या 79/61 व राजस्व ग्राम 37 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 163/16 में अंकित नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र के स्थान पर नरेन्द्र बाना पुत्र जगदीश बाना, शारदा पत्नी जगदीश चन्द्र के स्थान पर शारदा पत्नी जगदीश प्रसाद बाना व रोहिताश पुत्र जगदीश चन्द्र के स्थान पर रोहिताश बाना पुत्र जगदीश बाना दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 10.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/506
दिनांकः 10.07.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)